विचार बिन्दु

जो वस्तु आनंद प्रदान नहीं कर सकती, वह सुन्दर हो ही नहीं सकती। –प्रेमचंद

संविधान लागू हुये 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं फिर भी राज्य और ''हम लोग'' उसकी अवज्ञा कर रहे हैं।

स्वतंत्रता की लडाई से हम लोगों को जो वरदान (अधिकार) मिला वह अनमोल था। उसने 'हम लोगों' को उनकी रूचि के अनुसार संविधान बनाने का अधिकार दिया जो उनके Ethos Je Aspiration के अनुरूप हो। देश के लोगों के प्रतिनिधि संविधान का ड्राफ्ट बनायेंगे। भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र बनायेंगे। इस हेतु विधानसभा का सत्र बुलाया गया। इसका रोल Constituent व Legislative असेम्बली का था।

विषय की गम्भीरता के अनुसार ही असेम्बली के प्रेसीडेण्ट ने एक एडवाईजरी कमेटी बनाई और रेफरेन्स के टर्म घोषित किये। कमेटी ने सुझाव दिया कि विधान Federal होगा तथा केन्द्र मजबूत होगा। बाद में संविधान बनाने के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई। ड्राफ्ट कमेटी ने भारत के संविधान का ड्राफ्ट बनाया। एक एक शब्द पर बहस हुई थी। ड्राफ्ट कमेटी ने जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया उसमें 315 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। ड्राफ्ट पर क्लॉज वाईज बहस भी हुई थी और अंतिम रूप से यह संविधान बना उसमें 395 अनुच्छेद 8 सूचियां थीं। 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। प्रारूपण समिति ने सभापति डा. अम्बेडकर ने 25/26 नवमबर 1949 को निम्नलिखित सावधानी के शब्द कहे थे और लगभग यही विचार संविधान सभा के अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद ने कहे थे। वे इस प्रकार थे:–

''मैं महसूस करता हूँ कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौपा जाये, खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा, किन्तु दूसरी ओर संविधान कितना ही खराब क्यों न हो वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौपा जाये अच्छे हों तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा''।

संविधान को देश हित में तथा लोगों के सुनहरे सपने पूरे करने के उद्देश्य से कई बार संशोधन करना पडा है। संशोधन में 125 के लगभग संविधान संशोधन विधेयक पारित हो चुके हैं।

हम लोंगों ने नीति निदेशक तत्वों को सही रूप से आज तक नहीं समझा। देश ने तरक्की की, किन्तु कई विषयों को संविधान को, संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप क्रियान्वित नहीं किया। हमारा आचरण सुधार वादी न होकर Retrogate (पश्चगामी कदम) रहा है।

इस लेख में उदाहरण के तौर पर यह लिखने का प्रयास किया है कि प्रतिगामी कदम के कारण हम उन्नति में पीछ रह गये। हम लोगों के सपने पूरे नहीं हुये। काश, यदि हम संविधान की अक्षर अक्षर पालना करते तो देश बहुत ऊँचाईयों तक पहुंच चुका होता। हम लोगा दुनियां के बॉस होते। इस लेख में केवल कुछ मामलों का उल्लेख है:–

शिक्षा : अनुच्छेद 45 में यह व्यवस्था दिनांक 26.1.1950 को इस प्रकार थी, **The State shall endeavour to provide, within a period of ten year from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of foursteen years.**

अनुच्छेद 45 Constitution 97 Amendment Act 2011 से लागू हुआ। पुराने अनुच्छेद 45 को संशोधन एक्ट के द्वारा दो भागों में बांट दिया गया। अनुच्छेद 45 व अनुच्छेद 21ए वे इस प्रकार हैं:–

अनुच्छेद 21ए : शिक्षा का अधिकार – राज्य 6 वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबन्ध करेगा।

अनुच्छेद 45 : राज्य सभी बालकों के लिये छ: वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख (Care) और शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संविधान के लागू होने के समय अनुच्छेद 45 के अनुसार यह व्यवस्था थी कि राज्य संविधान लागू होने से 10 वर्ष की अवधि में सभी बालकों को नि:शुल्क व अनिवार्य एजूकेशन उनकी आयु 14 वर्ष तक पूरी होने तक प्रदान करेगा। उसके स्थान पर अनुच्छेद 45 में नई व्यवस्था के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध उन बालकों को देगा जिन्होंने आयु 6 वर्ष पूरी कर ली है। अनुच्छेद 21ए के अनुसार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिये नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में राज्य विधि द्वारा अवधारित कर उपबन्ध करेगा।

संविधान सभा ने अनुच्छेद 44 को संविधान का एक भाग बनाया है और देश ने इसे अंगीकृत किया है अतः किसी भी नागरिक को यह कहने का अधिकार नहीं है कि वह समान नागरिक संहिता का विरोध करता है। उनके धर्म के विरूद्ध है। राज्य को संविधान के अनुच्छेद 44 से हटाने का अधिकार नहीं है।

उपरोक्त व्याख्या के अनुसार Free व Compulsory शिक्षा अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा संविधान लागू होने के 10 वर्ष की अवधि में पूरी हो जानी थी, किन्तु देश की इस पीढी को शिक्षित नहीं बनाया गया। 26.01.1960 तक कोई भी बालक/बालिका अशिक्षित नहीं रहते और बिना पढे-लिखे अनेक सांसद व विधायक कानून नहीं बनाते।

उपरोक्त वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 6 वर्ष से कम के बालक/बालिकाओं शिक्षा का मूल अधिकार ही नहीं है। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के अनुसार 6 वर्ष के बच्चों के लिये पर्याप्त स्कूल नहीं है। प्राइवेट स्कूल में Compulsory शिक्षा उन विद्यार्थियों की दी जाती है जो आर्थिक रूप अथवा अन्य प्रकार से कमजोर हैं। राज्य को अपने स्कूल में जो खर्चा आता है, वह प्राइवेट स्कूलों को देना होता है। शिक्षा का मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालकों को है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिये प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख का दायित्व राज्य सरकार का है, किन्तु इस हेतु उवित व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार राज्य संविधान की अवज्ञा कर रहा है। सरकार Free व Compulsory Education व Care का सही अर्थ नहीं समझ रही है। अनुच्छेद 13 of ICESCR] अनुच्छेद 26(2) UDHR घोषणा करता है कि Education shall be directed to the full development of human personality. Every one has the right to education, education shall be free at least in the elementary and fundamental stage. Elementary education shall be compulsory. Technical and Professional education shall generally be available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

समान सिविल संहिता – इसे लागू करने का दायित्व राज्य का है। संविधान सभा ने अनुच्छेद 44 को संविधान का एक भाग बनाया है और देश ने इसे अंगीकृत किया है अत: किसी भी नागरिक को यह कहने का अधिकार नहीं है कि वह समान नागरिक संहिता का विरोध करता है। उनके धर्म के विरूद्ध है। राज्य को संविधान के अनुच्छेद 44 से हटाने का अधिकार नहीं है। संविधान का यह अभिन्न अंग है, इस कारण संशोधन भी नहीं किया जा सकता।

शराबबंदी: अनुच्छेद 47 में शराबबंदी की बात की है। हमारा देश कल्याणकारी राज्य है। शराब की आय से कल्याणकारी राज्य का संचालन नहीं हो सकता यह अनैतिक है। चूंकि शराब पीना सब पापों की जड है। अनुच्छेद 47 को संविधान सभा ने नीति निदेशक तत्वों के चेप्टर में जगह दी थी। राजस्थान में शराबबंदी कानून लागू था अर्थात् नीति निदेशक तत्व लागू किये थे। राजस्थान में शराबबंदी का कानून लाया गया था यह जन स्वास्थ्य के हेतु अच्छा कदम था, शराब की बिक्री को पुन: वापिस लाना, पश्चगामी कृत्य है। गांधीजी शराब के विरोधी थे।

अनुच्छेद 120: संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा – भाग 17 में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबन्धो के अधीन रहते हुये संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जावेगा जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो 'या अंग्रेजी में' शब्दों को उसमें लोप कर दिया है।

इस प्रकार संविधान के लागू होने से 15 वर्ष बाद केवल हिन्दी ही संसद की भाषा होनी थी किन्तु प्रेक्टिस में अभी भी अंग्रेजी का अधिक व्यवहार होता है। संविधान कहता है जो हिन्दी नहीं जानता उसे संसद में अपनी मात्र भाषा में बोलने का अधिकार है।

अनुच्छेद 334: संविधान के लागू होने के पश्चात 10 वर्ष के बाद (क) लोकसभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण प्रभावी नहीं रहेगा। अंग्रेजी में इसे इस प्रकार लिखा है **Shall cease to have effect on the expiration of 10 years from the commencement of this Constitution.** 10 वर्ष की यह अवधि Sunset Laws के अनुरूप थी, 10 वर्ष के बाद आरक्षण स्वत: ही समाप्त हुआ है। राज्य ने अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण लोकसभा/विधानसभा के लिये थे उसे Constitutional Amendment द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष बाद बदल दिया गया है। 10 वर्ष पश्चात 80 वर्ष कर दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 334 जो शब्दावली प्रयोग में लायी गई है उसका अर्थ Automatic समाप्ति है। इस व्याख्या के आधार पर एक रिट याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट को ट्रान्सफर कर दिया गया है क्योंकि वहां कई रिट् याचिकायें वर्षों से पेन्डिंग हैं। स्पष्ट है राज्य ने इस दृष्टि से नहीं सोचा और न्यायालय का निर्णय भी अभी तक नहीं आया। वोटों के लालच में सभी राजनैतिक पार्टियां इन केसों के जल्दी निर्णय में रूचि नहीं रखतीं।

वस्तुत: 25.1.1960 के बाद आरक्षण स्वत: ही समाप्त हो गया था। इसका कारण यही है कि राज्य व हम लोगों ने कानून को सही रूप से नहीं समझा।

संविधान का भाग IX व भाग IXA : ये The Constitutional (Seventy Third Amendment) Act 1992 से संविधान का भाग बने। इसके अनुसार दिनांक 23.4.1993 से पंचायतें व नगरपालिकायें कॉरपोरेट बॉडी न रहकर क्रमश: अनुच्छेद 243(डी) व 243(ई) के तहत भाग IX व भाग IXA के तहत् गठित स्वायत्त शासन की संस्थायें मानी गईं और नगरपालिका के अधिनियम अनुच्छेद 243 ZF की पालना नहीं की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 रिपील हो गया। नगरपालिका Institution of self government नहीं है। जबकि नगरपालिका अधिनियम भाग IXA के अनुसार संशोधित किया जाना था, अथवा नया कानून बनाना था जो नहीं हुआ। इस प्रकार नगरपालिका अधिनियम 2009 अर्थहीन व प्रभाव शून्य हो चुका है और इसका गठन तथा इसके द्वारा लगाया गया टैक्स अधिकार शून्य व अवैध है। इसका अर्थ है राजस्थान राज्य संविधान के अनुरूप शासन नहीं कर रहा है और संविधान की अवज्ञा हो रही है।

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

फर्जी दस्तावेज के आधार पर जालोर हाउसिंग बोर्ड की भूमि हड़पी

जालोर, (कासं)। जालोर पुलिस थाना में जालोर हाउसिंग बोर्ड के लिए आवंटित भूमि पर गलत तरीके से एनओसी के झूठे तथ्य के आधार पर खातेदारों द्वारा भूमि के बेचान करने पर आमदा होने तथा उक्त भूमि को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने को लेकर मामला दर्ज हुआ है।

प्रकरण के अनुसार दीपक बिस्सा

- **भूमि को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने को लेकर मामला दर्ज हुआ**

आवासीय अभियंता खण्ड प्रथम सेक्टर ग्यारह चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर ने जालोर कोतवाली में रिपोर्ट पेश कर बताया कि राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना ग्राम जालोर बी पटवार हल्का लेटा में खसरा नम्बर 5272 रकवा 1.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 5273 कुल रकबा 6.27 हैक्टर की भूमि आयी हुई है जो कि पूर्व में मेथी देवी पत्नी रतना माली के नाम से आयी हुई थी। जिसको आवासन मंडल ने 14 अगस्त 2013 के जरिये अवार्ड जारी किया गया तथा अवार्ड जारी करने के बाद इस आराजी पर कब्जा फर्द बना कर कब्जा वर्ष 3 मई 2016 में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ले लिया गया। तब से लगातार कब्जा राजस्थान आवासन मण्डल का है एवं इस भूमि का नियोजन किया जा चुका है। इसके बाद मेवी देवी के अवार्ड राशि का चैक जारी किया गया तथा मेथी देवी की अवार्ड गति न्यायालय में जमा है। जिसका भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत सिविल कोर्ट जालोर में 2015 में प्रकरण सीजेएम कोर्ट जालोर में विचाराधीन है तथा मेथी देवी के वारिमान को इस बात की जानकारी है कि यह आवासन मण्डल की अवाप्तशुदा आराजी है तथा इसका सिविल कोर्ट में प्रकरण मेथी देवी के वारिसान जशोदा पुत्री अम्बालाल, भवानी सुंदेशा पुत्र अम्बालाल, राजेन्द्र कुमार पुर अम्बालाल, सुमटी पत्नि अम्बालाल, हेमलता पुत्री अम्बालाल ने सिविल प्रकरण में अपना जवाब भी पेश किया है। जिसमें भी स्वीकार किया है कि भूमि अवाप्त है। इसके बाद आज रोज हमको यह ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी पर मेथी देवी के वारिसान साफ सफाई जेसीबी आदि लगाकर काम करवा रहे हैं तो मौके पर पहुंचे तथा वहां कार्य कर रहे मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि राजेन्द्र कुमार व कन्हैयालाल की जमीन है तथा वे यहां सफाई करवा रहे हैं तथा प्लोटिंग करेंगे और एक मजदूर मनीष पुत्र मोहनलाल माली निवासी जालोर ने कन्हैयालाल के मोबाईल नम्बर दिये। तब उनसे बात की तो उसने कहा कि हमने आवासन मण्डल जयपुर से उक्त आराजी की एनओसी ले ली है। उस एनओसी के आधार पर हम काम करवा रहे है। अब इस आराजी पर आवासन मण्डल का हक नहीं है। जब हमने एनओसी की कॉपी दिखाने को कहा तो उसने एनओसी की कॉपी नहीं उपलब्ध करवायी।

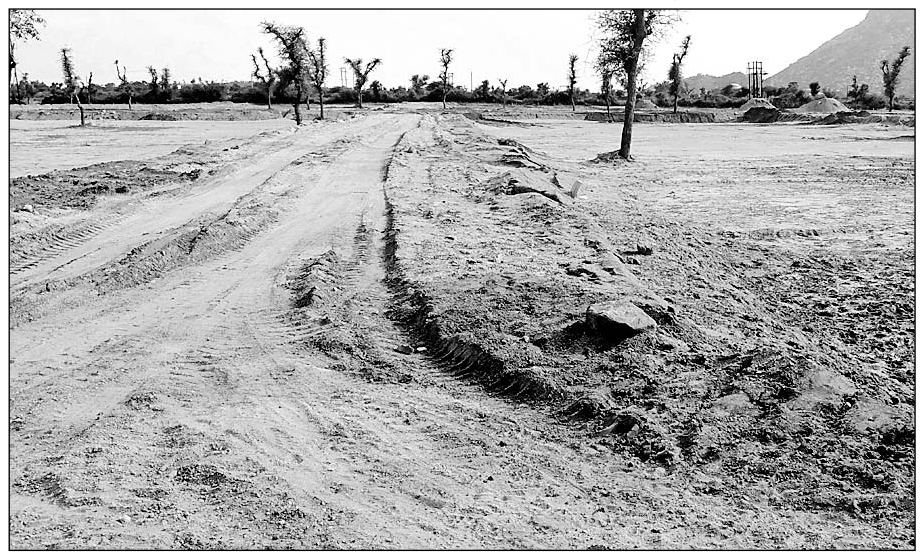

जालोर हाउसिंग बोर्ड के लिए अवाप्त भूमि हड़पने की नियत से साफ-सफाई की गई।

उक्त आराजी राजस्थान आवासन मण्डल की अवाप्तशुदा आराजी है जो सरकारी आराजी है। जिसकी जानकारी मेथी देवी के वारिसान को है तथा जिस एन ओ सी बारे में ये बात कर रहे है। उसकी पुष्टी के लिए राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय जयपुर से भी संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि उक्त खसरों को लेकर किसी प्रकार की कोई एनओसी विभाग द्वारा जारी नहीं की गयी है। यदि है तो वह फर्जी है। इस प्रकार हमारे विभाग से इस आराजी को लेकर किसी प्रकार की कोई एन ओ नी जारी नहीं की गयी है। यह सरकारी भूमि है। इस पर जबरन फर्जी एनओसी की झूठी प्रबंचना के आधार पर अर्थात कूटरचित दस्तावेज के आधार पर साफ सफाई करवा दी। पुलिस ने कुटरचित दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी पूर्वक हाउसिंग बोर्ड की भूमि पर कब्जा जाने का प्रयास करने का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया।

प्लॉट पर कब्जा करने की नियत से दबंगों ने दलित महिला के साथ मारपीट की

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के आसींद थाना क्षेत्र के मोड़ का निंबाहेड़ा कस्बे में गुरुवार सुबह दलित महिला के साथ मारपीट कर कब्जा करने की नियत से ईंटों के टुकड़े डाल दिए। परिवार ने विरोध किया तो दबंग व्यक्ति बाइक पर आए और धमकियां देने लगे।

दलित बस्तियों से बाईपास निकला तो भूमाफिया सक्रिय हो गए। भूमाफिया ब्यावर-भीलवाड़ा मुख्य मार्ग पर बसे मोड़ का निंबाहेड़ा कस्बे में से नेशनल हाईवे गुजरने के बाद कस्बे की दलित बस्तियों से बाईपास रोड निकल गया, जिसके चलते जमीनों की कीमतें आसमान छूने लगी। इसी दौरान दलित बस्तियों पर खाली पड़े प्लाटों पर कब्जा करने की नियत से माफिया सक्रिय हो गए एवं प्रशासनिक मिलीभगत से पट्टे बनाकर अन्य लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं। जिसके चलते आमजन में दहशत का माहौल है।

मोड़ का निंबाहेड़ा निवासी सुगना कालबेलिया पति राजू कालबेलिया ने आसींद थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उनके प्लॉट के सामने कमलेश पिता शांतिलाल राव एवं मुकेश पिता शांतिलाल राव ने हमारे ही परिवार के लोगों से प्लॉट खरीदा था। जिसकी चारदीवारी करवा दी लेकिन अब हमारी निजी जमीन के पास पत्थर वह ईंटो के टुकड़े डाल दिए और प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है।

मोड़ का निंबाहेड़ा कस्बे का पीड़ित परिवार।

- **परिवार ने थाने की शरण ली तो जान से मारने की धमकियां दी गई**

आज सुबह दोनों भाई कमलेश राव वह उनका भाई मुकेश राव आया और फरियादी के साथ मारपीट करने लगे व जान से मारने की धमकी देकर चले गए। फरियादी के प्लॉट के सामने कमलेश राव ने जबरन गेट खोल खोल दिया। वहीं प्लॉट में लगे बरगद के पेड़ को भी उखाड़ दिया। बच्चों को जान से मारने की धमकी मिलने पर पीड़ित ने थानाधिकारी से परिवार की सुरक्षा एवं आरोपियों पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई।

एक ए.एस.आई. व एक कांस्टेबल के भरोसे पावटा पुलिस चौकी

पावटा, (निसं)। पावटा कस्बे सहित दर्जनों ढाणियों और राजमार्ग का कुछ हिस्सा पावटा चौकी के अंतर्गत आता है। लेकिन पावटा चौकी पर नियुक्त एक एएसआई व एक कांस्टेबल होने के कारण कार्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। पावटा कस्बे में दर्जनों बैंक, व्यापारिक संस्थान एवं शिक्षण केंद्र होने के कारण कस्बा प्रमुख व्यापार का केंद्र है। राजमार्ग व कस्बे में अक्सर दुर्घटना व आपराधिक वारदातें हो जाती हैं। पावटा पुलिस चौकी पर एक एसआई, एक हेड कांस्टेबल, पांच कांस्टेबल सहित सात पुलिस कर्मियों की पोस्ट स्वीकृत है। जिनमें इस समय कुल दो पुलिसकर्मियों के भरोसे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था है। जिससे आमजन में असुरक्षा बढ़ रही है तो अपराधियों में पुलिस का खौफ घट रहा है।

शहर में कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रागपुरा थाने के अलावा नवोदय स्कूल व पालिका के पास एक चौकी पर दो पुलिसकर्मियों के चलते पावटा चौकी पर अधिकतर ताले लटके मिलते है। चौकी में कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखता। क्षेत्र में जब भी कोई वारदात होती है तो सबसे पहले लोग इसी चौकी पर आते हैं। ताला लगा रहने से प्रागपुरा थाने में जाकर रिपोर्ट देनी पढ़ती है। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉ. राजीव पचार ने बताया कि स्टाफ कमी की समस्या का शीघ्र समाधान कर चौकियों पर स्टाफ नियुक्त किया जायेगा।

पावटा कस्बे में पुलिस चौकी पर लटका ताला।

राशिफल शुक्रवार 30 जून, 2023

पंडित अनिल शर्मा

आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2080, विशाखा नक्षत्र सांय 4:10 तक, साध्य योग रात्रि 1:31 तक, बव करण दिन 2:00 तक, चन्द्रमा आज दिन 10:20 से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-तुला, मंगल-कर्क, बुध-मिथुन, गुरू-मेष, शुक्र-कर्क, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

राजयोग सांय 4:10 से रात्रि 1:17 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सांय 4:10 से सूर्योदय तक है। आज मंगल मघा सिंह में रात्रि 2:16 से प्रवेश करेगा। आज हरिसावर सांय 4:10 से रात्रि 9:54 तक है। महापात योग रात्रि 9:23 से रात्रि 3:48 तक है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:23 तक, लाभ-अमृत 7:23 से 10:48 तक, शुभ 12:30 से 2:13 तक, चर 5:38 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:40, सूर्यास्त 7:21

मेष
अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

सिंह
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

धनु
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय के नवीन स्त्रोत सामने आयेंगे। दिन के मध्यान्ह अनावश्यक धन खर्च होगा।

वृष
मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कन्या
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात व्यावसायिक कार्यों के कारण मन खिन्न और तनाव हो सकता है।

मकर
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

तुला
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति ठीक रहेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

कर्क
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में अतिथियों के आगमन से व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
घर/परिवार के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

मीन
अपनी कार्य योजना को दिन के मध्यान्ह तक सीमित रखें। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल बढ़ेगा।